रजिस्ट्री सं० डी० 221 REGISTERED No. D. 221

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 280] नई दिल्ली, शुक्रवार, अगस्त 10, 1973/श्रावण 19, 1895

No. 280] NEW DELHI, FRIDAY, AUGUST 10, 1973/SRAVANA 19, 1895

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

MINISTRY OF INDUSTRIAL DEVELOPMENT

ORDER

New Delhi, the 10th August 1973

S.O. 431(E)/15/IDRA/73.—Whereas the industrial undertaking known as Dalmia Dadri Cement Limited is engaged in the scheduled industry, namely:—cement;

And whereas the Central Government is of the opinion that the said industrial undertaking is being managed in a manner highly detrimental to the scheduled industry concerned and to public interest,

Now therefore in exercise of the powers conferred by section 15 of the Industries (Development and Regulation) Act 1951 (65 of 1951), the Central Government hereby appoints, for the purpose of making a full and complete investigation into the circumstances of the case, a body of persons consisting of :

Chairman

1. Shri K. V. Talcherkar, Technical Director, M/s. Holtec Engineers (P) Ltd., Shahi Bhawan, Exhibition Road, Patna-1.

Members

2. Shri R. Rajagopalan, Chief Cost Accounts Officer, Ministry of Finance, New Delhi.
3. Shri I. M. Puri, Joint Director, Deptt. of Company Affairs, New Delhi.

2. The above body shall submit its report within a period of twelve weeks from the date of publication of this order in the Official Gazette.

[No. 2(17)/73-CUC.]

D. K. SAKSENA, Jt. Secy.

औद्योगिक विकास मंत्रालय

आदेश

नई दिल्ली, 10 अगस्त, 1973

का० आ० 431 (अ)/15/आई० डी० आर० ए०/73.—यत: डालमिया दादरी सीमेंट लिमिटेड नामक औद्योगिक उपक्रम अनुसूचित उद्योग, अर्थात् सीमेंट के विनिर्माण में लगा हुआ है ;

और यत: केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि, उक्त औद्योगिक उपक्रम का प्रबन्ध इस रीति से किया जा रहा है जो संबंधित अनुसूचित उद्योग और लोक हित के लिए अति अहितकर है ;

अत:, अब, उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 (1951 का 65) की धारा 15 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, इस मामले को परिस्थितियों का पूरी तरह से अन्वेषण करने के प्रयोजन के लिए एक निकाय नियुक्त करती है जिसमें निम्नलिखित व्यक्ति होंगे :—

अध्यक्ष

1. श्री के० वी० तालचेरकर, तकनीकी निदेशक, मैसर्स होल्टक इंजीनियर्स (प्रा०) लि०, शाही भवन, एक्जिबीशन रोड, पटना—1.

सदस्य

2. श्री आर० राजागोपालन, मुख्य लागत-लेखा-अधिकारी, वित्त मंत्रालय, नई दिल्ली ।

3. श्री आई० एम० पूरी, संयुक्त निदेशक, कम्पनी कार्य विभाग, नई दिल्ली ।

2. उपर्युक्त निकाय इस आदेश के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से बारह सप्ताह की अवधि के भीतर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा ।

[सं० 2(17)/73-सी० यू० सी०]

डी० के० सक्सेना, संयुक्त सचिव ।

PRINTED BY THE MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1973